झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 17 फाल्गुन, 1942 (श0) / 08 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
उ0सं0 270	ग0– 26	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	समान वेतन एवं भत्ता दिलाना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
उ0सं0 271	का0– 15	डॉ0 इरफान अंसारी	पदाधिकारियों की पदस्थापना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	28/02/21
उ0सं0 272	का0– 04	श्री कमलेश कुमार सिंह	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21
उ0सं0 273	ग0– 46	श्री रामदास सोरेन	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	01/03/21
उ0सं0 274	ग0– 43	श्री रणधीर कुमार सिंह	कार्यालय का निर्माण।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	28/02/21
उ0सं0 275	ग0– 48	श्री भूषण बाड़ा	मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	01/03/21
* उ0सं0 276	का0– 09	श्री समीर कुमार मोहंती	अधिकारियों की पदस्थापना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21
उ0सं0 277	ग0– 05	श्री भानु प्रताप शाही	कारा भवन का संचालन।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	24/02/21
उ0सं0 278	ग0– 40	श्री अमर कुमार बाउरी	एफ0आई0आर0 वापस लेने के संबंध में।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
उ0सं0 279	का0– 13	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रोन्नति देना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21

* ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
280	ग0- 33	श्री नवीन जायसवाल	नियोजन एवं अनुदान राशि का भुगतान।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
281	ग0- 31	श्री ढुल्लू महतो	धारा 144 के दुरूपयोग रोकना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
282	ग0- 36	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
283	ग0- 25	डॉ0 लम्बोदर महतो	थाना खोलना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	24/02/21
284	ग0- 44	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	कार्रवाई करने के संबंध में।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	01/03/21
285	ग0- 37	श्री कुशवाहा डॉ0 शशि भूषण मेहता	विभागीय कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
286	ग0- 32	श्री नवीन जायसवाल	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
287	ग0- 30	श्री ढुल्लू महतो	अपराध पर लगाम लगाना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
288	ग0- 38	डॉ0 इरफान अंसारी	अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
289	ग0- 29	श्री अमित कुमार मंडल	मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
290	ग0- 01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	व्यवस्थित करना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	18/02/21
291	ग0- 42	श्रीमती सीता सोरेन	सरना धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	27/02/21
292	योवि0-04	श्री आलोक कुमार चौरसिया	नियुक्ति तथा बकाया राशि का भुगतान	यो0-सह-वित्त	01/03/21
293	का0- 14	श्रीमती ममता देवी	नियुक्ति का प्रावधान	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	27/02/21
294	ग0- 27	श्री नारायण दास	साईबर क्राइम से मुक्ति।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
295	ग0- 34	श्रीमती सीता सोरेन	जनगणना कॉलम लागू करना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
296	का0- 12	श्री कुशवाहा डॉ0 शशिभूषण मेहता	नामांकरण करना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21

* [illegible] [illegible] तथा राजभाषा विभाग में स्थानां0।

@ योजना एवं वित्त विभाग में स्थानांतरित।

\# ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

पू0प्र0उ0-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
297	का0- 03	श्री मनीष जायसवाल	अभ्यर्थी का चयन	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21
298	यो0वि0-02	श्री अमित कुमार यादव	भविष्य निधि का लाभ दिलाना।	यो0-सह-वित्त	26/02/21
299	का0- 07	श्री कमलेश कुमार सिंह	शिक्षकों की नियुक्ति करना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	26/02/21
300	गृ0- 12	श्री मनीष जायसवाल	राशि का भुगतान	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21
301	गृ0- 28	श्री अमित कुमार मण्डल	विभागीय कार्यवाही करना।	गृह, कारा एवं आ0 प्र0	26/02/21

राँची
दिनांक- 08 मार्च, 2021(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021....887..../वि0स0, राँची, दिनांक- 03/3/21

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021....887..../वि0स0, राँची, दिनांक- 03/3/21

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/2021
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021....887..../वि0स0, राँची, दिनांक- 03/3/21

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/2021
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

विरंजन

03/03/2021

* मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में स्थानांतरित।
\## स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में स्थानांतरित।

(270)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समतुल्य न्यूनतम वेतन भत्ता, ग्रेड–पे एवं वर्दी भत्ता तथा अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी तथा सुनिश्चित ड्यूटी नहीं दी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि पड़ोसी राज्य बिहार में उपरोक्त लाभ के अलावा पुलिस के सामान सेवानिवृत्ति के पश्चात् चार लाख की राशि एकमुश्त दी जाती है ;	बिहार राज्य में गृह रक्षकों को दिये जाने वाले लाभों की अधिकृत सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है मा० उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के द्वारा WP(S)- 3334/2020 दिनांक–01.02.2021 को गृह रक्षकों को भत्ता आदि बढ़ोत्तरी का आदेश पारित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मा० उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के द्वारा WP(S)- 3334/2020 में दिनांक–01.02.2021 को पारित न्यायादेश में वादी को निदेश दिया गया है कि– **To file a fresh representation before the respondent nos. 1& 2 along with all the credentials on which the petitioners are relying including the judgments as annexed in the writ petition within a period of two weeks from today.** **If such representation is filed, the respondent nos. 1&2 shall consider the case of the petitionrs in the light of the judgment delivered by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble Patna High Court as well as the Co-ordinate bench of this Court as indicated (supra) within a period of 8 Weeks' thereafter and will pass a reasoned order.** **It goes without saying, if the decision is taken in favour of the petitioners, the benefit of the same shall be extended to the petitioners within 8 weeks thereafter.** उक्त न्यायादेश के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के सामान वेतन एवं अन्य भत्ता देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति WP(S) No- 3334/2020 के सादृश्य मामले में गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समतुल्य न्यूनतम वेतन के तहत कर्त्तव्य भत्ता दिये जाने के संबंध में WP(S) No- 582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी०ए० वाद सं०–272/2018 दायर किया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में एल०पी०ए० वाद सं०–272/2018 के निष्पादन होने के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (बजट) सत्र–105/2021–1120/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–460, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

"ॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0–15 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, निदेशक आईटीडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् मिहिजाम, श्रम अधीक्षक जामताड़ा, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, कार्यपालक अभियंता स्पेशल डिविजन, कार्यपालक अभियंता एनआरईपी, जिला योजना पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिस कारण विकास कार्य अवरूद्ध है, और जिले के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। संबंधित विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार जामताड़ा में विभिन्न पदों पर अतिरिक्त प्रभार/पदस्थापन की स्थिति निम्नवत है :– (i) परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए.– श्री नमन प्रियेश लकड़ा, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, जामताड़ा (ii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी – श्री रामवृक्ष महतो, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जामताड़ा (iii) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता – श्रीमती अंजना दास, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जामताड़ा (iv) जिला परिवहन पदाधिकारी – श्री ओम प्रकाश यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद (v) जिला कोषागार पदाधिकारी – श्री प्रधान मांझी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा (vi) जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी – श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी पशु शल्य चिकित्सक, जामताड़ा (vii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी– श्री पंकज कुमार तिवारी, सहायक योजना पदाधिकारी, जामताड़ा (viii) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा – श्री जहीर आलम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा (ix) कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् मिहिजाम – श्री असीम बाड़ा, अंचल अधिकारी, जामताड़ा (x) श्रम अधीक्षक जामताड़ा – श्री शैलेन्द्र कुमार साह, श्रम अधीक्षक, दुमका (xi) कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) – श्री एस.एम. शमशीर इकबाल, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमण्डल, जामताड़ा (xii) कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमण्डल – श्री सुरेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जामताड़ा (xiii) कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी – श्री विशाल खलखो, सहायक अभियंता, एन.आर.ई.पी., जामताड़ा (xiv) जिला योजना पदाधिकारी – श्री रामवृक्ष महतो, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जामताड़ा
2.	क्या यह बात सही है, कि एक ही पदाधिकारी द्वारा कई पदों का प्रभार लिए जाने से कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा;	अस्वीकारात्मक। सरकार की सभी योजनाओं का निष्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिक्त पद के विरूद्ध पदाधिकारियों को शीघ्र पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उक्त पदों पर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है। सम्प्रति सरकार पदाधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार पदस्थापन की कार्रवाई करेगी।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–02/2021 का. 1445 / राँची, दिनांक 05 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 682 वि. स. दिनांक 28.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

(272)

माननीय स०वि०स० श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–04 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के सभी विभागों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग में कर्मचारियों के लगभग ढाई लाख पद रिक्त है ;	सभी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों के अद्यतन स्थिति के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1367 दिनांक 03.03.2021 के द्वारा सभी संबंधित प्राधिकारों से अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित रिक्त पदो के कारण आमजनों की समस्याओं का निष्पादन समय नहीं हो पाता है, और रोजगार के अभाव में झारखण्ड प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार पलायन को मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक विभिन्न विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अधिसूचित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली के आधार अपनी आवश्यकतानुसार अधियाचना चयन प्राधिकार को उपलब्ध कराई जाती है, जिसपर विहित प्रक्रियानुसार चयन प्राधिकार द्वारा अनुशंसित आरक्षण कोटिवार मेधा–सूची संबंधित प्राधिकारों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तृतीय व चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर के खण्डों मे यह स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–08/2021 का.– 1449 /राँची, दिनांक– 05/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–432 दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/21

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(273)

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत MGM थाना क्षेत्र के ग्राम मिलाई पहाड़ी निवासी एवं पूर्व जिला परिषद् सदस्य श्री पिन्टु दत्ता ने उक्त गाँव के आदिम जनजाति भूमिहीन सवर परिवार के सदस्य भुवन सवर की सरकार द्वारा बंदोबस्त की गई भूमि को उक्त क्षेत्र के एक गैरेज व्यवसाई द्वारा बल पूर्वक हड़प लिए जाने के पश्चात् विरोध करने पर श्री दत्ता पर एक रंगदारी माँगने का झूठा मामला उक्त थाना में दर्ज किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। दिनांक–26.11.2017 को MGM थाना में जिला परिषद् सदस्य श्री पिन्टु दत्ता के विरूद्ध वादी श्री इन्द्रजीत सिंह के लिखित आवेदन पर MGM थाना काण्ड संख्या–83/17, दिनांक–26.11.2017, धारा–147/148/149/384/386/447/506 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई है। अबतक अनुसंधान, वादी एवं गवाहों के ब्यान से धारा–447/385/506/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त श्री दत्ता एवं दो अन्य के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मामले की जाँच वरीय पुलिस पदाधिकारियों से कराने के लिए उक्त क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों द्वारा आग्रह किये जाने के बावजूद उक्त मामले की जाँच अबतक गंभीरतापूर्वक नहीं की गई है जिससे श्री दत्ता को सम्बन्धित थाना द्वारा परेशान किया जाता है तथा उक्त घटना से श्री दत्ता परिवार काफी भयभीत है ;	अस्वीकारात्मक। अनुसंधान के क्रम में वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा काण्ड की समीक्षा समय–समय पर की गयी है एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान क्षेत्र), चाईबासा के स्तर से भी इस काण्ड की समीक्षा की गयी है। विषयांकित मामले में विधि के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर निर्दोष को न्याय दिलाने के साथ–साथ सवर परिवार को उक्त भूमि वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–09/2021– 1127 / राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–739, दिनांक–01.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि सरकार ने सारठ को पुलिस अनुमंडल बनाने का दर्जा दिया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सारठ पुलिस अनुमंडल कार्यालय जिला परिषद के डाक बंगला परिसर में चलायी जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस अधीक्षक, देवघर के द्वारा सारठ पुलिस अनुमण्डल कार्यालय एवं आवासन हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित् करने के संबंध में उपायुक्त, देवघर से अनुरोध किया गया है। भूमि चिन्हित् होने के उपरांत तथा राज्यस्कीम में निधि की उपलब्धता के आधार पर सारठ पुलिस अनुमंडल कार्यालय के भवन निर्माण पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–805/2021–1121/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–681, दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(275)

श्री भूषण बाड़ा माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ग–48 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला स्थित कुरडेगा प्रखण्ड अंतर्गत सर्पमुण्डा ग्राम के (1) प्रफुल मिंज (2) मिसाईल मिंज (3) सेलेस्टिन एक्का (4) सिबनुस मिंज (5) मेरबेता मिंज (6) विजय मिंज (7) लॉरेन्स मिंज के घर को दिनांक–05.02.2019 को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिये के कारण इन लोगों का घर सहित सारा सामान जल कर राख हो चुका है	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री प्रफुल्ल मिंज के फर्दबयान पर दर्ज प्राथमिकी संख्या–10/19 पर प्रतिवेदन संख्या–09/20 दिनांक–31.03.2020 को समर्पित किया गया है। वर्णित घटना अधिसूचित प्राकृतिक आपदा/राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा में सम्मिलित नहीं होने के कारण राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अनुदान/मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि कि खण्ड–1 में वर्णित उक्त अनुसूचित जनजाति के गरीब पिड़ित परिवारों को पिछली सरकार में क्षतिपूर्ति के तौर पर आपदा राहत कोष से किसी प्रकार का कोई मुआवजा की राशि मुहैया नहीं कराया है। जिस कारण उक्त पिड़ित परिवार आर्थिक संकट से उबर नहीं पाये है	तथैव।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अनुसूचित जनजाति के पिड़ित परिवारों को मुआवजा के रूप में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित कराने एवं इनके घरों के जले हुए सामानों के एवज में इन्हें उचित मुआवजा आपदा राहत कोष से दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब, नहीं तो क्यों ?	1. जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में श्रीमती मेरबेता मिंज को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिया गया है। 2. श्री प्रफुल्ल मिंज के माता– श्रीमती इलिसबा मिंज का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर आवास योजना में लंबित किया गया है। 3. शेष का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 (SECC Date) की प्रतीक्षा सूची में नहीं रहने के कारण आवास का लाभ नहीं दिया गया है। 4. प्रश्नगत घटित घटना प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं होने के कारण राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अनुदान/मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/आ०प्र०(विधायी)–07/2021–157 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 06/03/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2021
(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/आ०प्र०(विधायी)–07/2021–157 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 06/03/2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–742 दिनांक–01.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

6/3/2021
सरकार के अवर सचिव।

278

श्री समीर कुमार मोहंती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 का0–09

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले गुड़ाबांधा एक अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गुड़ाबांधा प्रखण्ड में ज्यादातर पदाधिकारी व कर्मी प्रभार पर नियुक्त है;	स्वीकारात्मक उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम का पत्रांक–135 दिनांक–05.03.2021 के अनुसार वर्त्तमान में गुड़ाबांधा प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभार में श्री सदानन्द महतो, अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ प्रतिनियुक्त है। धालभूमगढ़ तथा बहरागोड़ा प्रखण्ड के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी ही गुड़ाबांधा प्रखण्ड के संबंधित पंचायतों के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी/कर्मी के अतिरिक्त प्रभार में है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गुड़ाबांधा प्रखण्ड में विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–851 दिनांक–04.03.2021 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (मूल कोटि) के 39 पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया गया है। पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होने के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुड़ाबांधा के पद पर पदस्थापना की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–07/2021/ग्रा0वि0 887 राँची, दिनांक– 05.03.21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, ज्ञा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–433 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–07/2021/ग्रा0वि0 887 राँची, दिनांक– 05.03.21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–07/2021/ग्रा0वि0 887 राँची, दिनांक– 05.03.21

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत श्री बंशीधर नगर के महदेईया में कारा भवन बनकर तैयार है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कारा भवन नहीं चालू करने से अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट का कार्य बाधित हो रहा है ;	स्वीकारात्मक। मंडल कारा गढ़वा के पत्रांक–395, दिनांक–27.02.2021 के आलोक में अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट बनकर तैयार है, परन्तु न्यायिक कार्य प्रारंभ नही की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री बंशीधर नगर स्थित कारा को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, गढ़वा के पत्रांक–125 / अनु०, दिनांक–26.02.2021 द्वारा उप कारा नगरऊँटारी, गढ़वा में वर्तमान में 90 प्रतिशत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना दी है तथा शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया है। मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–161 / अनु०, दिनांक–17.08.2020 तथा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, गढ़वा के पत्रांक–114 (अनु०) दिनांक–19.02.2021 द्वारा उप कारा नगरऊँटारी, गढ़वा में किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु ₹ 2,57,65,860.00 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–01 / 2021–1365 / राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–221, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

278

श्री अमर कुमार बाऊरी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वेंदाता कम्पनी की स्थापना (एलोक्ट्रोस्टील) वर्ष 2008 ई० में बोकारो जिला के चंदनकियारी विधान सभा क्षेत्र में की गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानीय ग्रामीणों/ रैयतों एवं कामगारों द्वारा कम्पनी के अन्याय के खिलाफ विरोध किये जाने के कारण 200 लोगों पर सुनियोजित षडयंत्र के तहत् कम्पनी द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज करा दिया गया है ;	लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एफ० आई०आर० दर्ज की गई है तथा अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों के उपर सुनियोजित तरीके से किये गये अनावश्यक एफ०आई०आर० केस को वापस लेने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–706/2021–1366/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–454, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

275

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0–13 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के तृतीय बैच के पदाधिकारियों को कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति देने हेतु DPC की बैठक महीनों पूर्व हो चुकी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक 24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई थी। कुल 443 पदाधिकारियों की विचारण सूची पर समिति में विचार किया गया। विचारण सूची में तृतीय बैच के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के Junior Selection Grade में अधिकारियों का घोर अभाव और DPC की बैठक हो जाने के बावजूद अभी तक प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, जिसका विकास व राजस्व संबंधी कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये जाने के उपरांत प्रोन्नति देने के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशासनिक सेवा के तृतीय बैच के अधिकारियों को कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। जहाँ तक तृतीय बैच के पदाधिकारियों को कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति देने पर विचार का प्रश्न है, यह राज्य सरकार द्वारा भविष्य में इस संदर्भ में लिए जाने वाली निर्णय से प्रभावित होगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–02/2021 का॰ 1381/ राँची, दिनांक 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 444 वि. स. दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

(280)

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्व0 राजकिशोर साहू उर्फ राज किशोर जायसवाल ग्राम चलका घाघरा जिला गुमला के निवासी का दिनांक–02.03.2005 को उग्रवादियों के द्वारा जलका रोड के शिवसेरेंग मोड़ के पास हत्या कर दी गयी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्व0 राजकिशोर साहू उर्फ राज किशोर जायसवाल ग्राम चलका घाघरा जिला गुमला की हत्या दिनांक–02.05.2005 को 5–6 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसके पश्चात घाघरा थाना कांड सं०–2605, दिनांक–03.05.2005, धारा–396 भा०द०वि० दर्ज किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के पत्रांक संख्या–965, दिनांक–02.03.2009 के आलोक में उग्रवादियों द्वारा की गई हत्या में स्व0 राजकिशोर जायसवाल के आश्रितों को नियोजन एवं अनुग्रह अनुदान आवंटित राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया था, परन्तु अभी तक इनके आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस कांड में जे०एस०जे०एम०एम० संगठन के लोहा सिंह पर संदेह व्यक्त करते हुए अंतिम प्रतिवेदन 85/05, दिनांक–30.11.2005 धारा 396 भा०द०वि० के अंतर्गत सत्यसुत्रहीन समर्पित किया गया था, तदक्रम में विभागीय स्वीकृत्योदश सं०–72, दिनांक–14.05.2005 द्वारा संगत मामले में मृतक के आश्रित को अनुग्रह–अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। संगत मामले में पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक–559/सी०आर०, दिनांक–26.04.2010 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन यथा मृतक की हत्या उग्रवादी/आंतकवादी संगठन द्वारा नही किये जाने के क्रम में उपायुक्त स्तर से भुगतान लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्व0 राजकिशोर जायसवाल के आश्रितों को नियोजन एवं अनुग्रह राशि देने का विचार रखती है, हों तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस अधीक्षक, गुमला को संगत मामले की समीक्षा कर नियम संगत, यथोचित एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर संगत मामले में नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–04/2021–1358/ राँची, दिनांक–06/03/21 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–459, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(281)

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग–31 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि विधि–व्यवस्था को दुरूस्त रखने हेतु जिलों में अनुमण्डलाधिकारी को संविधान द्वारा धारा–144 लगाने की शक्ति प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144 लगाने की शक्ति प्रदत्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में धारा 144 लगाने की शक्ति का दुरूपयोग हो रहा है, वर्ष–2020 से 2021 में अबतक कई बार धारा 144 का प्रयोग किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जिला में यदि आम जनता शान्ति पूर्वक संविधान के दायरे में अपनी कोई मांग का आन्दोलन की सूचना पदाधिकारी को देते है, तो उन्हें केस में फंसाने एवं धारा–144 लगा कर आम नागरिकों का भयादोहन कर रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धारा 144 के दुरूपयोग रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–03/2021 का॰ 1446 / राँची, दिनांक 05 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०– 461 वि. स. दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

282

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चन्द्रिका प्रसाद पुलिस निरीक्षक, गोड्डा के पद पर स्थापित है जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाईरायड एवं अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात सही है कि श्री चन्द्रिका प्रसाद, पुलिस निरीक्षक के पद पर गोड्डा जिला में वर्ष 2019 से पदस्थापित हैं। परन्तु इस कार्यकाल में ये अपनी बीमारी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाईरायड एवं अन्य गंभीर बीमारी के बारे में लिखित रूप से कभी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा को सूचित नहीं किये है।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–28.12.2019 को गोड्डा कॉलेज के पास झारखण्ड सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक सामारोह में श्री प्रसाद को लाईन ऑर्डर ड्यूटी में लगाया गया जहां लोहे के रड से चोटिल होने के फलस्वरूप सीक रेस्ट में रहने के कारण उनकी बीमारियाँ और बढ़ गई, जिसके कारण ये अत्यधिक बोलने और गालियाँ देने लगे ;	दिनांक–28/12/2019 को गोड्डा कॉलेज के पास झारखण्ड सरकार के द्वारा कोई वार्षिक समारोह आयोजित नहीं हुआ था, बल्कि दिनांक–28/12/2020 को वार्षिक समारोह गोड्डा कॉलेज प्रांगण में हुआ था, जिसमें श्री चन्द्रिका प्रसाद की विधि–व्यवस्था ड्यूटी थी, परन्तु लोहे के रड से इनके चोटिल होने और सीक रेस्ट में रहने संबंधी कोई सूचना इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा को नहीं दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद को अत्यधिक बोलने के कारण उच्च पदाधिकारियों द्वारा इन्हें शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी, सार्जेन्ट मेजर गोड्डा, संदीप कुमार के द्वारा श्री प्रसाद को अमानवीय तरीके से हाथ–पैर बांधकर पीटा गया एवं जबरन मानसिक अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त कठोर यातनायें दी गई जो जघन्य आपराधिक मामला प्रदर्शित करता है ;	अस्वीकारात्मक। पुलिस निरीक्षक, चन्द्रिका प्रसाद के मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से ईलाज कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा उन्हें Mentaly Not Fit बताया गया। अतः बेहतर ईलाज हेतु उन्हें एक माह का उपार्जित अवकाश की स्वीकृत किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय कक्ष में प्रवेश करने हेतु किये गये दुर्व्यवहार के कारण Judge incharge Civil Court, Godda के पत्र संख्या–58, दिनांक–13.01.2021 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री चन्द्रिका प्रसाद पुलिस निरीक्षक, गोड्डा के साथ किये गये अमानवीय अत्याचार, शारीरिक एवं मानसिक शोषण में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों के उपर उच्च स्तरीय जांचोपरान्त दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। श्री चन्द्रिका प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, गोड्डा के विरूद्ध किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8002/2021–1373/ राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–453, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(283)

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कसमार प्रखण्ड के दक्षिणी पंचायत हिसीम, मुरहुल सूदी, सिंहपुर, खैराचातर, बगदा, टाँगटोना एवं दुर्गापुर गाँवो की दूरी कसमार थाना से 20 कि०मी० से 40 कि०मी० तक है तथा गोमिया प्रखण्ड के हुरलूंग, बड़की सिंघवारा, चिदरी पंचायत की दूरी निकटतम थाना से 10–55 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि यह सुदूरवर्ती तथा दुरूह जंगली रास्ता होने के कारण कसमार थाना और गोमिया थाना को उक्त पंचायतों में पेट्रोलिंग एवं अन्य गतिविधियाँ करने में कठिनाई होती है, जिसके कारण अपराधिक घटनाएँ बढ़ रही है तथा अपराध नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह क्षेत्र सुदूरवर्ती तथा दुरूह जंगली रास्ता होने के कारण पेट्रोलिंग एवं अन्य गतिविधियाँ करने में कठिनाई होती है, परन्तु अपराधिक घटनाएँ पर यथासंभव नियंत्रण किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कसमार प्रखण्ड के खैराचातर या गोमिया प्रखण्ड के हुरलूंग में थाना या ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड के खैराचातर या गोमिया प्रखण्ड के हुरलूंग में थाना या ओ०पी० खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–...../2021–1361/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–222, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

984

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कोयला की काला बाजारी जोरों पर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अवैध कोयले के संदर्भ में वर्ष 2015 से वर्ष–2020 तक कुल–3518 कांड प्रतिवेदित हुए है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती नहीं किये जाने के फलस्वरूप अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी के कारण कई मजदूरों की मृत्यु खदानों में हो जा रही है, जिसका न तो मुआवजा भुगतान होता है और न किसी प्रकार की सहायता राशि मिलती है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कोयला चोरी को रोकने के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा साईकिल, मोटर साईकिल एवं ट्रैक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज कर खानापुर्ति की जा रही है और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से कोयला तस्करों का मनोबल काफी बढ़ गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर आज तक कोयला चोरी से सम्बन्धित जितनी प्राथमिकी दर्ज की गयी है उपलब्ध कराकर कोयला तस्करों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1 राज्य सरकार खनिज पदार्थों की कालाबाजारी रोकने हेतु कृत संकल्प है। 2 अगर किसी पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की बात प्रकाश में आयेगी तो जाँचोपरान्त दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०–03 / 2021– 1125 / राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–740, दिनांक–01.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

285

श्री कुशवाहा (डॉ०) शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पांकी थाना के थाना प्रभारी श्री पवन कुमार द्वारा बालू माफियाओं को संरक्षण देकर लाखों रूपये की अवैध वसूली तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों एवं अन्य सरकारी योजनाओं के निर्माण हेतु लाये जा रहे बालू कि ट्रेक्टर को पकड़ा जा रहा है तथा उनसबों से मनचाहा पैसा नहीं देने पर एफ0आई0आर0 दर्ज करने की धमकी दी जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार वर्तमान थाना प्रभारी पांकी दिनांक–02.02.2021 को थाना प्रभारी के रूप में योगदान दिये हैं। इनके योगदान के पश्चात् अब तक मात्र एक अवैध बालू परिवहन करने वाले के विरूद्ध विधि सम्मत काण्ड दर्ज किया गया है। बालू ट्रैक्टर वाले से मनचाहा पैसा लेने/एफ०आई०आर० दर्ज करने की धमकी देने जैसा कोई तथ्य अब तब प्रकाश में नहीं आया है।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–19.02.2021 को थाना प्रभारी द्वारा कार्यक्षेत्र से हटकर प्रधानमंत्री आवास के लाभुक ग्राम–हुरलवंग निवासी श्री महेश राम के आवास का निर्माण कार्य को फोन करके बन्द कराया गया तथा थाना प्रभारी द्वारा जमीन माफियाओ को संरक्षण देकर आमलोगों के जमीन में अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण कराया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। आवेदक पवन कुमार, पे०–स्व० प्रसाद राम एवं सोनू कुमार, पे०–स्व० जनेश्वर राम द्वारा दिनांक–24.02.2021 को थाना प्रभारी पांकी को संबोधित आवेदन के माध्यम से भाई–भाई में जमीन बंटवारा से संबंधित आवेदन दिया गया। आवेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया है कि इनके चाचा महेश राम दादा जी के जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तथा पुस्तैनी जमीन पर बिना बँटवारा के घर निर्माण कर रहे हैं। हिस्सा मांगने पर ये मार–पीट करने के लिये उतावले हो जाते हैं। आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन के क्रम में पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार द्वारा घटना स्थल पर जाकर खुले एवं गुप्त रूप से पूछ–ताछ करने के उपरांत शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा–107 एवं धारा–144 द०प्र०स० के तहत प्रतिवेदन प्रेषित किये हैं, जो वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर के पास लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आम जनता के हित में थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित कर उनपर विभागीय कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था कायम करना चाहती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स० –04/2021–1374/ रॉची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–452, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–17.01.2021 को बुढ़मु थाना में पदस्थापित बाजपुर पंचायत के ग्राम–हिसरी निवासी संतरी देवेश प्रसाद की थाना परिसर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–17.01.2021 को बुढ़मू थाना में पदस्थापित आरक्षी 304 देवेश प्रसाद की मृत्यु खुद को गोली मार लेने के कारण हुआ।
2	क्या यह बात सही है कि संतरी देवेश प्रसाद की मौत के बाद की उनकी भौतिक स्थिति उनके गले से सोना का चैन एवं कलाई, घड़ी का गायब होना एक जांच का विषय है ;	अस्वीकारात्मक। यह तथ्य अफवाह मात्र थी, घटना के तीसरे दिन मृतक के बड़े भाई नंद किशोर प्रसाद तथा उनके सगे संबंधियों के सामने मृत आरक्षी देवेश प्रसाद का बक्सा खोलने पर मृत आरक्षी के सोने का चेन एवं घड़ी तथा अन्य सभी सामान सुरक्षित पाया गया, जिसे मृतक के भाई सही सलामत पाकर अपने घर ले गए।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संतरी देवेश प्रसाद की संदेहास्पद स्थिति की मौत की निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषियों को सजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मृतक देवेश प्रसाद की अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में बुढ़मू थाना यू०डी० कांड सं०–01/21, दिनांक 17.01.2021 दर्ज कर स्थानीय पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–07/2021–1359/ राँची, दिनांक–06/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–462, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जनवरी–2020 से जनवरी, 2021 तक धनबाद जिला में अपराध की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला अन्तर्गत वर्ष 2020 में पूर्व वर्षों की अपेक्षा सामान्य हत्या, दहेज हत्या, डकैती/लूट एवं फिरौती के लिये अपहरण अपराध शीर्षों में कमी आई है। जबकि रंगदारी अपराध शीर्ष में वृद्धि हुई, जिसमें अंकुश लगाने के लिये लगातार कार्रवाई की गई एवं मुख्य आपराधिक गिरोह से संबंधित एक दर्जन से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में आम नागरिकों को जीना बेहाल हो गया है और बात–बात में गोली बम का चलना आम बात हो गयी है ;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में शस्त्र अधिनियम में क्रमशः 53, 34, 03 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 02, 14, 01 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं। इन सभी घटनाओं में काण्ड दर्ज कर गिरफ्तारियाँ की गयी हैं।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार आपराधिक कृत्य के रोकथाम करने में विफल रही है और इसके खामियाजा आम–जनता को भुगतना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अपराध पर लगाम चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–08/2021–1124/ राँची, दिनांक–07/03/2021ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–449, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(288)

डॉ इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–38 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र नहीं रहने के कारण आए दिन आग लगने की घटना में बढ़ोतरी हुई है ?	अस्वीकारात्मक। अग्निशामालय जामताड़ा से जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक प्राप्त अग्नि प्रतिवेदन के अनुसार नारायणपुर प्रखण्ड में मात्र खलिहान / पुआल में 02(दो) छोटी अग्निकांड की घटना घटी है। जिसमें किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि नारायणपुर प्रखण्ड से नजदीकी अग्निशमन केन्द्र की दूरी लगभग 20 किलोमिटर होने के कारण दमकल की गाड़ी घटना घट जाने के बाद देर से पहुंचती है ?	अस्वीकारात्मक। अग्निशामालय जामताड़ा से अग्निशमन वाहन एवं दस्ता ससमय नारायणपुर प्रखण्ड में घटनास्थल पर न्यूनतम समय पर पहुँचकर अग्निशमन का कार्य किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र एवं नवसृजित अनुमण्डल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमण्डल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात् प्रखण्ड कार्यालय में खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / विस0–07 / 04 / 2021–1118 / रॉंची, दिनांक–06/03/2021 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–451, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

289

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 माह जनवरी से दिसम्बर 2020 तक राज्य में कुल 1490 बलात्कार की घटनाएं घटी हैं जो अब तक किसी एक वर्ष के अंतराल में सर्वाधिक घटना है ?	स्वीकारात्मक। वर्ष–2018 में 1478, वर्ष–2019 में 1693 एवं वर्ष–2020 में 1796 बलात्कार की घटनायें प्रतिवेदित हुई है। विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक बलात्कार की घटनायें वर्ष 2020 में प्रतिवेदित हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु Fast Track Court के तहत Speedy Trial कराने की घोषणा की गयी थी, जो अब तक किसी भी पीड़िता के लिए शुरू नहीं हो पाया है ?	अस्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 22 (बाईस) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का अस्थायी रूप से 01 (एक) वर्ष, जो वर्ष (2019–2020) एवं (2020–2021) में सन्निहित होगा, का गठन किया गया है। इसके लिए विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद–सृजन भी किया जा चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजा देते हुए Fast Track Court के तहत Speedy Trial कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मुआवजा→ Jharkhand Victim Compensation Scheme के नियमों के तहत बलात्कार पीड़िताओं को अन्य पीड़ितो की भाँति मुआवजा देने का प्रावधान है। पीड़ित/पीड़िता के आवेदन या माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) द्वारा मामले की समीक्षा कर समुचित मुआवजा का आदेश दिया जाता है। जिलों के उपायुक्तों द्वारा इस मद में उपलब्ध आवंटित राशि से मुआवजा का भुगतान किया जाता है। Fast Track Court→ उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–05/2021– 1371 राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–463, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(290)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलानतर्गत मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेट के छोड़े हुए भवन में इण्डिया रिजर्व बटालियन की द्वितीय वाहिनी का मुख्यालय अस्थायी रूप से कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चाईबासा जिला में सोनुवा में वर्णित वाहिनी निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है जो मुख्यालय से काफी दूर है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि आवंटित भूमि के इर्द–गिर्द पुलिस के परिवार तथा बच्चों के निमित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवश्यक बाजार जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस कर्मियों के सुविधा हेतु हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के छोड़े हुए स्थान को वाहिनी के रूप में व्यवस्थित कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आई०आर०बी०–02, चाईबासा, का वाहिनी मुख्यालय वर्तमान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (मुसाबनी), पूर्वी सिंहभूम के भवन में अस्थायी रूप से कार्यरत है। चूँकि द्वितीय इंडिया रिर्जव बटालियन का मुख्यालय पश्चिमी सिंहभूम अधिसूचित किया गया है तथा वर्तमान में वाहिनी मुख्यालय निर्माण हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा अंचलान्तर्गत मौजा–बालजोड़ी, थाना सं०–574, खाता सं०–354, प्लॉट सं०–1627/अंश, रकबा–25 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किया जा चुका है, जहाँ वाहिनी मुख्यालय निर्माण प्रस्तावित है। सम्प्रति पूर्वी सिंहभूम जिला के हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के छोड़े हुए स्थान को वाहिनी के रूप में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०– 02/2021–1357/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–87, दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(291)

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०सं० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में विभिन्न धर्मों के धार्मिक बोर्ड जैसे हिन्दु धार्मिक न्यास बोर्ड, दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सरना आदिवासियों का धार्मिक परंपरा, रीति–रिवाज, जन्म एवं मृत्यु संस्कार, पर्व–त्यौहार अन्य धर्मावलंबियों से भिन्न है ;	स्वीकारात्मक झारखण्ड के 32 जनजातीय समुदायों की पूजा–पद्धति, रीति–रिवाज, जन्म एवं मृत्यु संस्कार, पर्व–त्यौहार अन्य धर्मावलम्बियों से भिन्न है। इनका आध्यात्मिक धार्मिक एवं दैनदिन के आधार–व्यवहार, पर्व–त्यौहार के केन्द्र में प्रकृति है। प्रकृति अभिमुखि सांस्कृतिक विशिष्टता ने इन्हें अदभुत रूप से समतावादी बना दिया है। इसी लिए इनके यहाँ वर्ण जाति के भेद–भाव वाली सामाजिक व्यवस्था का अभाव है। स्वर्ग–नर्क की अवधारणा का अभाव, आत्मा की अपनी विशेष अभिकल्पना तथा पर्व–त्यौहार इत्यादि अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासियों के देवता किसी विशाल भवन में निवास नहीं करते। आदिवासियों के सारे समुदाय किसी विशेष धार्मिक ग्रन्थ से संचालित नहीं होते। यहाँ किसी मसीहा, पैगम्बर या अवतार की कल्पना भी नहीं की गई है। यहाँ जन्म पर आधारित कोई ऐसा पुजारी या पुरोहित वर्ग नहीं है। आदिवासीय समुदायों की मान्यता के अनुसार मृत पितृ की छाया को घर के खास स्थान में जगह दी जाती है वे पितृ–पूर्वज अपनी उपस्थिति से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा आराधना का केन्द्र प्रकृति ही है। साथ ही परम सत्ता या परम पिता है, जिन्हें ठाकुर जीउ, धरमे, सिंगबोंगा आदि सभी धार्मिक अनुष्ठानों, परब त्योहारों के केन्द्र में होते हैं। इसके अलावे प्रकृति के अन्य शक्तियों में भी ईश्वर के रूप में देखना और उसके प्रति अपनी पूजा–अर्चना समर्पित करना उनके धार्मिक अनुष्ठान में शामिल रहता है। ये जीवों के साथ अजीवों में भी ईश्वर की अभिकल्पना करते हैं जैसे मरांग बुरू बोंयको या इकिर बोंगा। इनका पूजा–अर्चन स्थल सरना, जाहेर, देशाउली इत्यादि हैं। इनके पर्व–त्यौहार सरहुल, बा:, सोहराय अन्य धर्मावलम्बियों से भिन्न है। अतः इनकी अलग पूजा–पद्धति, धार्मिक विश्वास, विशेष दर्शन, परब–त्यौहार, रीति–रिवाज, जन्म–मृत्यु संस्कार, पर्व–त्योहार अन्य धर्मावलम्बियों से भिन्न है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य धर्मों की तरह सरना/आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करना चाहती है, हों तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–713/2021–1370/ राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–657, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

292

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० योवि–04 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला भविष्य निधि कार्यालय में संविदा के आधार पर श्री संदीप कुमार को दिनांक 02.03.2006 को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त थे की मृत्यु दिनांक 05.10.2020 को ईलाज के क्रम में रिम्स, राँची में हो गयी है;	स्वीकारात्मक । जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 72 दिनांक 10.12.2020 से स्व० संदीप कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर की रिम्स, राँची में ईलाज के दौरान दिनांक 05.10.2020 को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई । स्व० कुमार दिनांक 20.03.2006 से जिला भविष्य निधि कार्यालय पलामू में कार्यरत थे ।
2.	क्या यह बात सही है कि मृतक की पत्नी श्रीमती प्रभा देवी द्वारा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पलामू एवं उपायुक्त, पलामू के साथ–साथ निदेशालय, राँची को भी अपनी योग्यता के आधार पर अनुकम्पा धारित पति के स्थान पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रीमती प्रभा देवी के पारिवारिक कठिनाई एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके योग्यता के आधार पर नियमों को क्षान्त करते हुए अनुकम्पा पर स्थायी रूप से नियुक्त करने तथा बकाया राशि भुगतान करने का करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्व० संदीप कुमार एकमुश्त नियत मासिक पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी रूप से कार्यरत थे । अनुकम्पा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 10167 दिनांक 01.12.2015 के प्रावधानुसार मात्र नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के मृत्यु पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, अस्थायी कर्मियों के मामले में अनुकम्पा का लाभ अनुमान्य नहीं है । स्व० कुमार का माह सितम्बर, 2020 तक का मासिक पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक :– 10 / वि०स०(4)–10 / 2021 383/अ० नि० राँची दिनांक 05.03.2021

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

05/03/21

(श्वेता)
सहायक निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची ।

श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का.–14 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है;	षष्ठम केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण में केन्द्र सरकार द्वारा समूह 'घ' के पदों की अवधारणा को समाप्त करते हुए संदर्भित पदों का कार्य वाह्य श्रोत (Out Sourcing) से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्तों के अधीन केन्द्रीय वेतनमान देने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 11.11.2013 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सभी विभागों को यह निदेश दिया गया है कि वाह्य श्रोत (Out Sourcing) से कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, आदेशपाल, चालक एवं सफाई कर्मी आदि की सेवा प्राप्त की जाय तथा इनके पद स्वीकृत नहीं समझे जाय अपितु वाह्य श्रोत (Out Sourcing) से सेवा प्राप्त किए जाने हेतु कोटिवार अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी। प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को नियुक्त किये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। अपितु सेवा प्राप्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
(2.) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नियुक्तियों के कारण समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धान्त का उल्लंघन हो रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** वाह्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने वाले पदों के मासिक मानदेय का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर किये जाने की अनुशंसा की जाती है। वाह्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने के लिए चयन प्रक्रिया भिन्न होती है, जिसके कारण देय मासिक मानदेय नियमित नियुक्तियों के समान नहीं होता है। चयन प्रक्रिया भिन्न होने के कारण समान काम के बदले समान वेतन का सिद्धान्त वाह्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने के मामले में लागू नहीं होता है।
(3) क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को कार्य के बदले सरकार से मानदेय के रूप में जो राशि दी जाती है उसका एक तिहाई ही कर्मियों को भुगतान किया जाता है;	**अस्वीकारात्मक।** प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा सामान्यतः समूह 'घ' कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, चालक आदि के पदों के कार्य हेतु वाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने के लिए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया को बंद करते हुए विभागीय स्तर पर नियुक्ति का प्रावधान करते हुए उन कर्मियों के खाते में मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर अस्वीकारात्मक है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–14/2021 35/वि॰ प्र॰ राँची/दिनांक: 05.03.2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं॰ 656/वि॰स॰, दिनांक 27.02.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2021
(विजय नारायण)
अवर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(294)

श्री नारायण दास, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला दो राज्यों की सीमा पास अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के गठन के पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, परन्तु विधि–व्यवस्था की अपेक्षा पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति कम है, जिससे स्थानीय प्रशासन को अपराधमुक्त शासन स्थापित करने में कठिनाई हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जनसंख्या वृद्धि हुई है एवं तदनुरूप सृजित बल में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है।
3	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला सहित संथाल परगना अन्तर्गत अन्य जिलों में साईबर क्राईम की घटनायें आये दिन घटती रहती है, जिस कारण यहां प्रत्येक दिन अन्य राज्यों के पुलिस द्वारा छापेमारी की जाती रही है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देवघर जिला में पुलिस प्रशासन को दुरूस्त रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की प्रतिनियुक्ति सहित संथाल परगना के अन्य जिलों को साईबर क्राईम से मुक्त कराना चाहती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	पुलिस प्रशासन को दुरूस्त करने के लिए देवघर जिला में कई नये थाना यथा रिखया, बुढ़ई, पथरौल एवं खागा आदि का सृजन किया गया है। देवघर जिला के अतिरिक्त इसके सीमावर्ती जिलों यथा जामताड़ा, गिरिडीह एवं धनबाद में साईबर पुलिस थाना का सृजन किया गया है। इस अपराध से मुक्त करने के लिए प्रभावित जिलों में साईबर पुलिस उपाधीक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त साईबर अपराध की रोकथाम हेतु सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। साईबर क्राइम के रोकथाम एवं अनुसंधानकर्ता की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु देश एवं राज्य के सक्षम प्रशिक्षण केन्द्रों में समय–समय पर प्रशिक्षण करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स० (10)–02 / 2021– 1126 / राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–450, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कुशवाहा (डॉ0) शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 का0–12

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखण्ड का नामकरण आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा रखा गया नाम है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू के इतिहास में चेरो खेरवार अनुसूचित जनजाति समाज के क्रांतिकारी नीलाम्बर–पीताम्बर को लेस्लीगंज में ही फांसी दिया गया था;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शहीद नीलाम्बर–पीताम्बर के नाम पर लेस्लीगंज का नामाकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपायुक्त, पलामू के पत्रांक– 433 दिनांक– 05.03.2021 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का अधिसूचना सं0–02/अ0पु0 22/2003–5259/रा0, राँची दिनांक–09.12.2003 द्वारा पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड एवं अंचल मुख्यालय "लेस्लीगंज" का नाम परिवर्तित कर नया नामकरण "नीलाम्बर–पीताम्बरपुर" किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–08/2021/ग्रा0वि0 886 राँची, दिनांक–05·03·2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, ज्ञा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–445 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–08/2021/ग्रा0वि0 886 राँची, दिनांक– 05·03·21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–08/2021/ग्रा0वि0 886 राँची, दिनांक– 05·03·21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक– 134 दिनांक– 02.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–08/2021/ग्रा0वि0 886 राँची, दिनांक– 05·03·21

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(297)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का० 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2017 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में अभियंत्रण में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी श्री निशांत कुमार, श्रेणी– पिछड़ी जाति वर्ग से शामिल हुये थे, जिनका क्रमांक–1111271122131 है तथा श्री कुमार द्वारा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कुल प्राप्तांक–168 लाये थे जबकि उक्त वर्ग में कुल प्राप्तांक–164 वाले का चयन किया गया परन्तु श्री कुमार (अभ्यर्थी) का चयन अभियंत्रण में स्नातक होने के कारण नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक। (क) श्री निशान्त कुमार चन्दन, पिता श्री कमल किशोर प्रसाद के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के अंतर्गत हजारीबाग जिला के शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन किया था, जिनका क्रमांक 11127122131 है। (ख) लिखित परीक्षा के उपरांत श्री कुमार को प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में श्री कुमार द्वारा अन्य प्रमाण पत्रों के साथ "Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)" का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (ग) झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 के नियम 9(i)(j) में शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अहर्ता निर्धारित है, जिसके अनुरूप संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 से संबंधित विवरणिका की कंडिका 4 के क्रम संख्या 6 में शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित अहर्ता निम्नवत् रखी गई है:– "राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री।" (घ) विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक डिग्री समर्पित नहीं करने के कारण श्री निशान्त कुमार चन्दन की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी गई।
02	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–01 में वर्णित परीक्षा में शामिल होने की शैक्षणिक योग्यता कला/वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य था;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 के नियम–9(i)(j) में शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में कला/वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक के समकक्ष उत्तीर्ण की योग्यता शामिल नहीं है, जिसके अनुरूप संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 से संबंधित विवरणिका की कंडिका–4 के क्रम संख्या–6 में भी शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित अहर्ता के अंतर्गत कला/वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक के समकक्ष उत्तीर्ण की योग्यता शामिल नहीं की गई है।

कृपया०

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–यो०वि०–02 का उत्तर प्रतिवेदन : –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्यमंत्री/मुख्य सचेतक/सचेतक, सभापति एवं विधायक के निजी स्थापना में नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों/कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भविष्य निधि (P.F) के लाभ से वंचित रखा गया है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि यह खण्ड–1 में वर्णित मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत सरकार ने पत्र संख्या–0159, दिनांक– 25.04.2017 के माध्यम से झारखण्ड सरकार को राज्य के सभी विभागों/ मंत्रिमण्डल/सरकारी उपक्रमों/स्वायत परिषदों में नियुक्त कर्मचारी को भविष्य निधि (P.F) का लाभ देने से संबंधित निदेश दिये जाने के बाद मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा पत्र संख्या–2021, दिनांक– 30.10.2018 द्वारा राज्य के सभी विभागीय सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/उपायुक्तों को प्रत्येक स्थापना में नियुक्त 20 या 20 से अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि (P.F) का लाभ देने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद अबतक खण्ड–1 में वर्णित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं खण्ड–2 में वर्णित पत्र के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भविष्य निधि (P.F) का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	जहाँ तक प्रश्न मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्र संख्या–2029, दिनांक–30.10.2018 के प्रसंग में भविष्य निधि (P.F) का लाभ देने से संबंधित है, तो माननीय मंत्रीगण की अनुशंसा पर को–टर्मिनस के आधार पर नियुक्त कर्मी उक्त पत्र में परिभाषित प्रावधान के अंतर्गत अभिलिखित पात्रता से आच्छादित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

सं0 संख्या–म०म०स०–05/ता०प्र०यो०वि०–02–10/2021 283 राँची, दिनांक 06 मार्च, 2021 ई०।

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–429, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव 06.3.2021

(30)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-08.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0-ज-12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण काल में कोरोना वैरियर्श की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रूपये राशि केन्द्र सरकार के तर्ज पर देने की घोषणा की थी ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि राज्य में अबतक कुल-12 पुलिसकर्मियों सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास विभाग के साथ-साथ कई अन्य विभागों के कोरोना वैरियर्शो की मृत्यु कोरोना से होने के बावजूद सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों के आश्रितों को अबतक 50 लाख रूपयें राशि नहीं दी गयी है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-02 में वर्णित परिवार के आश्रितों को निर्धारित राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	PMGKY के अन्तर्गत योग्य मामलों में आश्रितों को राशि भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल-05 क्लेम संबंधित एजेंसी के पास विचाराधीन है, तथा कुल 01 मामले में भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-21/विधानसभा-06-02/2021/65 (HS) स्वा0/राँची/दिनांकः- 05/03/2021
प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-446/वि0स0 दिनांक-26.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(301)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) झारखण्ड, रांची के कार्यालय के ज्ञापांक–38 / टी०ए०, दिनांक–08.05.2020 के माध्यम से सूचित किया गया था कि जिन महानुभाव के पास एक से तीन तक की संख्या में अंगरक्षक उपलब्ध है उन्हें छोटे हथियार उपलब्ध कराया जायेगा एवं पूर्व में आवंटित ए०के०–47 आग्नेशास्त्र वापस लिया जाएगा ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 का अनुपालन अब तक पूर्ण रूपेण नहीं किया गया है, जिसका परिणाम है कि कई पूर्व एवं वर्तमान माननीय जिनके पास एक से तीन अंगरक्षक है, उनको ए०के०–47 आवंटित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। आदेश का अनुपालन काफी जिलों में कर लिया गया है। आठ जिला यथा राँची, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा इस संबंध में समीक्षा कर अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विभागीय आदेश की अवहेलना करनेवाले पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही एवं खण्ड–1 में वर्णित आदेश का अनुपालन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स० (04)–07 / 2021– 1123 / राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–456, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।